

E-3404
25/11/22

MAA SHAKUMBHARI UNIVERSITY, SAHARANPUR

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत रोजगार परक पाठयक्रम
संचालित किये जाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश ।**

शासनादेश संख्या 1969/सत्तर-3-202111 दिनांक 18-08-2021 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय टॉस्क फोर्स की उप-समिति द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं ।

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

- 1.1 समस्त शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर किये गये MSME से समझौता ज्ञापन (MoU) के शासनादेशानुसार के सहयोग से कालेज स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) करें ।
- 1.2 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रम/ ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/मानदेय के लिये संबन्धित विभागों से समझौता (MoU) करगें ।
- 1.3 शिक्षण संस्थान संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रम के लिये निकटतम उद्योग, कम्पनी, आईटीआई, पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, पंजीकृत दुकानों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समझौता (MoU) करगें । जिन्हें उस पाठयक्रम का स्किल पार्टनर कहा जायेगा ।
- 1.4 समझौता (MoU) करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये ।
- 1.5 समझौता (MoU) में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान मानदेय के लिये यथा सम्भव ध्यान रखा जाये क्योंकि ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान स्किल पार्टनर को जन-शक्ति भी (Manpower) प्राप्त होगी ।

2. समय सारणी

- 2.1 ट्रेनिंग/इन्टरनशिप अवकाश (वेकेशन) के समय अथवा कालेज समय-सारणी के पश्चात कारायी जाये अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित करें ।
- 2.2 कालेज समय-सारणी में इन कोर्स को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जाये, जिससे सभी विषयों के विद्यार्थी आसानी से इन्हें कर सकें ।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्धयन करने वाले विद्यार्थी की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठयक्रम तैयार किये जायें तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा, जिससे विद्यार्थी आसानी से ट्रेनिंग/इन्टरनशिप कर सकें ।

4. परीक्षा

- 4.1 थ्योरी/सामान्य भाग की आंतरिक परीक्षा-CIE (25 अंक) कालेज द्वारा कारायी जायेगी तथा स्किल/ट्रेनिंग/इन्टरनशिप (75 अंक) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा कारायी जायेगी ।
- 4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा आफलाईन/आनलाईन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं । स्किल पार्टनर अंक देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करें ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 4.3 CIE and Skill partner examination के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा विश्वविद्यालय पोर्टल पर पृथक-पृथक अंक अपलोड किये जायेंगे ।
- 4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ग्रेडतालिका/डिग्री में उक्त रोजगारपरक विषय का विवरण होगा ।
- 4.5 इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को सर्टीफिकेट अलग से भी जारी कर सकते हैं ।
- 4.6 स्किल पार्टनर/कालेज यथा संभव ओब्जेक्टिव पेपर आनलाईन (Google form etc.) माध्यम से करा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे तथा विद्यार्थी आनलाईन परीक्षा देने का अनुभव पा सकें ।
- 4.7 भारत सरकार/राज्य सरकार/राजकीय विभागों /यू.जी.सी./ विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त/संचालित सभी स्किल/वोकेशनल (Skill/ vocational/BVoc/PMYRY etc.) कोर्स के अंक सीधे अंकपत्र (mark sheet) के आधार पर कालेज द्वारा पोर्टल पर 100 अंकों में से अपलोड किये जा सकेंगे, इसके लिये पुनः परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु कोर्स न्यूनतम 3 क्रेडिट अथवा 75 घंटे का होना चाहिए। इस प्रकार के कोर्स को विश्वविद्यालय की इक्वलेन्स कमेटी (Equivalence Committee) से अनुमोदित कराना होगा ।

5. पाठ्यक्रम

- 5.1 रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालन में स्किल पार्टनर होना वांछनीय होगा, किन्तु कालेज ऐसा पाठ्य क्रम अन्तर्विभागीय भी संचालित कर सकता है।
- 5.2 विश्वविद्यालय/कालेज, स्किल पार्टनर के सहयोग से अथवा स्वयं रोजगार परक विषयों/पेपर के नए पाठ्यक्रम संलग्न फॉर्मट पर तैयार कर सकते हैं, परन्तु उन्हें संचालन से पूर्व विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वृत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराना होगा । अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय/ द्वारा उन्हें वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिससे अन्य कालेज उनको संचालित कर सकें ।
- 5.3 भारत सरकार/राज्य सरकार/राजकीय विभागों /यू.जी.सी./ विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त/संचालित सभी स्किल/वोकेशनल (Skill/ vocational/ Certificate or Diploma of BVoc /PMYRY Etc.) कोर्स के पाठ्यक्रम को इक्वलेन्स कमेटी (Equivalence Committee) से अनुमोदित कराने की आवश्यकता होगी ।
- 5.4 नए पाठ्यक्रम बनाने में स्किल पार्टनर/यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/ स्किल डवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग का सहयोग लिया जा सकता है ।
- 5.5 जिन ट्रेड्स में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन्हीं के पाठ्यक्रम को वरीयता दी जाये जिससे छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टरनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।
- 5.6 पाठ्यक्रम बनाने में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाये ।
- 5.7 विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार कौशल विकास पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।
- 5.8 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट--15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट--30 घंटों का होगा अर्थात् 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटों (1 क्रेडिट) थ्योरी तथा 60 घंटों (2 क्रेडिट) की ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब आदि होगी ।

3 June

my

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं—

6.1.2 Individual nature – एक सैमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सैमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सैमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण होगा ।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद व उपलब्धता के अनुसार चुनाव कर सकेंगे ।

7. शुल्क

7.1 कालेज निःशुल्क कोर्स संचालित करेंगे ।

7.2 कालेज भारत सरकार/राज्य सरकार/जिले के राजकीय विभागों /यू.जी.सी. द्वारा संचालित निःशुल्क रोजगार परक पाठ्यक्रमों की सूची तैयार करेंगे ।

7.3 सभी कालेज रोजगार परक पाठ्यक्रमों की सूची विद्यार्थी को प्रवेश के समय उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी सूचना कालेज के वेबसाईट पर भी देंगे, जिससे विद्यार्थी अपनी वित्तीय स्थिति एवं पसंद के अनुसार चुनाव कर सकें ।

7.4 जिन कोर्स में मानदेय मिल रहा है उनमें शुल्क प्रति सैमेस्टर मिलने वाले मानदेय (stipend) का आधे से अधिक नहीं होगा, जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा लिया जा सकेगा तथा इसका विवरण स्किल पार्टनर के साथ किये एम.ओ.यू. में सम्मिलित होना चाहिए ।

7.5 यदि रोजगार परक पाठ्यक्रम का शुल्क उपर्युक्त 7.4 के आधार पर लिया जाता है, तो उसे संस्थान की शुल्क रसीद में स्किल शुल्क के रूप में जोड़ेंगे ।

8. संचालन एवं नियम

8.1 रोजगार परक पाठ्यक्रम का संचालन उससे प्राप्त होने वाले शुल्क अथवा विश्वविद्यालय/कालेज के संसाधनों से किया जायेगा ।

8.2 रोजगार परक पाठ्यक्रम के संचालन में यू0जी0सी0 के वोकेशनल कोर्स दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

8.3 प्रत्येक संस्थान में एक वोकेशनल सैल होगा जिसके द्वारा सभी रोजगार परक पाठ्यक्रमों का सुगम संचालन किया जायेगा । इस सैल का एक "वोकेशनल कोर्स कोर्डिनेटर" होगा तथा आवश्यकतानुसार सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किया जायेगा, जिनको यू0जी0सी0 वोकेशनल कोर्स दिशा निर्देशानुसार मानदेय का भुगतान किया जा सकता है । बी.वॉक. विभाग के अन्तर्गत संचालित रोजगार परक पाठ्यक्रम का शुल्क उसी विभाग के संचालन में व्यय किया जायेगा ।

8.4 आगतुक शिक्षकों, आंतरिक शिक्षकों, विशेषज्ञों आदि को मानदेय का भुगतान "यू0जी0सी0 वोकेशनल कोर्स" दिशा निर्देशानुसार किया जा सकता है ।

8.5 आंतरिक शिक्षकों के यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शिक्षण वर्कलोड में सःशुल्क रोजगार परक पाठ्यक्रम के शिक्षण घंटों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, क्योंकि इसके लिये उन्हें मानदेय प्राप्त होगा । यदि इसको उनके शिक्षण वर्कलोड में जोड़ा जायेगा, तो उन्हें मानदेय नहीं दिया जायेगा ।

- 8.6 सभी प्रकार के मानदेय भुगतान में "यू0जी0सी0 के वोकेशनल कोर्स" की सीमा अधिकतम होगी । संस्थान प्राप्त होने वाले शुल्क के आधार पर उससे कम भुगतान का नियम बना सकते हैं ।
- 8.7 भुगतान करते वक्त क्रेडिट एवं घंटों का ध्यान रखा जाये । किसी भी स्थित में आंगुतक शिक्षकों, आंतरिक शिक्षकों, विशेषज्ञों आदि को मानदेय उसके घंटों से अधिक न हो । उदाहरण के लिये 3 क्रेडिट के कोर्स के लिये अधिकतम 45 घंटे का मानदेय भुगतान किया जा सकता है ।

9. क्रेडिट

- 9.1 रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सैमस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अथवा प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे । विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट का रोजगार परक पाठ्यक्रम कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।
- 9.2 विद्यार्थी आनलाईन (UGC/NSQF/Central Govt./State Govt. recognized) रोजगार परक पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं । कालेज बिना किसी शुल्क के उनके क्रेडिट/ग्रेड सर्टीफिकेट के आधार पर अपलोड करेंगे ।

10- Important links for Skill/ Vocational courses are as follows:

- <https://nsdcindia.org>
- <https://nsdcindia.org/skillcentres>
- <https://eskillindia.org>
- <https://www.uqc.ac.in/skill/SectorReports.html>

11- one can also visit:

- District Industries & Enterprises Promotion Center
- <http://udyogbandhu.com/topics.aspx?mid=Directorate%20of%20Industries>
- <http://www.upkvib.gov.in>
- <http://www.upkvib.gov.in/training-hi.aspx>
- <http://odopup.in>
- <http://www.diupmsme.upsdc.gov.in>